

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवंस्वास्थ्य सेवायें
उत्तरप्रदेश, लखनऊ।

सेवामें,

समस्त सदस्य,
राज्य स्तरीय वर्किंग ग्रुप कमेटी
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ0प्र0।

पत्रांक :—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ /2021–22/ 9259

लखनऊ/दिनांक :08-12-2021

विषयः—विश्व स्वास्थ्य संगठन के एफ.सी.टी.सी. अनुच्छेद-5.3 के आलोक में तम्बाकू नियंत्रण व स्वास्थ्य नीतियों में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये दिशा—निर्देशों के क्रम में कार्यालयों में उचित स्थान पर सम्बन्धित घोषणा—पत्र प्रदर्शित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप अवगत हैं कि प्रदेश में ‘सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA)—2003’ के प्राविधानों एवं राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय वर्किंग ग्रुप कमेटी गठित है, जिसमें आप सम्मानित सदस्य के रूप में नामित हैं।(छायाप्रति संलग्न)

आपको अवगत कराना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के एफ.सी.टी.सी. अनुच्छेद-5.3 के आलोक में तम्बाकू नियंत्रण व स्वास्थ्य नीतियों में प्रदेश में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु चिकित्सा अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-583/पांच-07-2019, दिनांक 16.9.2019 में उल्लिखित अनुलग्नक ‘क’ में दिये गये दिशा—निर्देशों के अनुपालनार्थ संलग्न घोषणा—पत्र प्रदेश एवं जनपद के समस्त सरकारी प्रतिष्ठानों में उचित स्थान पर प्रदर्शित किया जाना है कि जिस सम्बन्ध में जनपदों को उक्त दिशा—निर्देशों का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

उक्त के क्रम में चिकित्सा अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-583/पांच-07-2019, दिनांक 16.9.2019 में उल्लिखित अनुलग्नक ‘क’ में दिये गये दिशा—निर्देशों के अनुपालनार्थ पत्र के साथ संलग्न घोषणा—पत्र, आप अपने—अपने कार्यालयों में उचित स्थान पर प्रदर्शित करवाने का कष्ट करें।

संलग्नकः—यथोक्त।

भवदीय,

(Anupam)
08/12/2021

निदेशक (स्वास्थ्य)/
राज्य नोडल अधिकारी,
एन0सी0डी0, उ0प्र0।
तददिनांक :

पत्रांक :—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ /2021–22/
प्रतिलिपि निम्नलिखित को ई-मेल के माध्यम से सादर सूचनार्थ प्रेषित :

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
4. उप महाप्रबन्धक, एन0सी0डी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
5. अधिशासी निदेशक, यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ।

राज्य कार्यक्रम अधिकारी,
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम,
उ0प्र0।

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
उत्तरप्रदेश, लखनऊ।

सेवामें,

समस्त सदस्य,
राज्य स्तरीय वर्किंग ग्रुप कमेटी
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ०प्र०।

पत्रांक :—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2021–22 /

लखनऊ / दिनांक : 08-12-2021

विषयः—विश्व स्वास्थ्य संगठन के एफ.सी.टी.सी. अनुच्छेद—5.3 के आलोक में तम्बाकू नियंत्रण व स्वास्थ्य नीतियों में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये दिशा—निर्देशों के क्रम में कार्यालयों में उचित स्थान पर सम्बन्धित घोषणा—पत्र प्रदर्शित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

जैसा कि आप अवगत हैं कि प्रदेश में “सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA)—2003” के प्राविधानों एवं राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र० की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय वर्किंग ग्रुप कमेटी गठित है, जिसमें आप सम्मानित सदस्य के रूप में नामित हैं। (छायाप्रति संलग्न)

आपको अवगत कराना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के एफ.सी.टी.सी. अनुच्छेद—5.3 के आलोक में तम्बाकू नियंत्रण व स्वास्थ्य नीतियों में प्रदेश में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु चिकित्सा अनुभाग—7, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—583 / पांच—07—2019, दिनांक 16.9.2019 में उल्लिखित अनुलग्नक “क” में दिये गये दिशा—निर्देशों के अनुपालनार्थ संलग्न घोषणा—पत्र प्रदेश एवं जनपद के समस्त सरकारी प्रतिष्ठानों में उचित स्थान पर प्रदर्शित किया जाना है कि जिस सम्बन्ध में जनपदों को उक्त दिशा—निर्देशों का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

उक्त के क्रम में चिकित्सा अनुभाग—7, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—583 / पांच—07—2019, दिनांक 16.9.2019 में उल्लिखित अनुलग्नक “क” में दिये गये दिशा—निर्देशों के अनुपालनार्थ पत्र के साथ संलग्न घोषणा—पत्र, आप अपने—अपने कार्यालयों में उचित स्थान पर प्रदर्शित करवाने का कष्ट करें।

संलग्नकः—यथोक्ता।

भवदीय,

निदेशक (स्वास्थ्य) /
राज्य नोडल अधिकारी,
एन०सी०डी०, उ०प्र०।
तददिनांक :

पत्रांक :—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2021–22 / 9260—64
प्रतिलिपि निम्नलिखित को ई—मेल के माध्यम से सादर सूचनार्थ प्रेषित :

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
4. उप महाप्रबन्धक, एन०सी०डी०, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
5. अधिशासी निदेशक, य०पी०वी०एच०ए०, लखनऊ।

राज्य कार्यक्रम अधिकारी,
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम,
उ०प्र०।